Rajasthan State Warehousing Corporation

(A Government Undertaking)

Head Office; Bhawani Singh Road; Jaipur 302015

क्रमांक : प्र.का. / प्रशा. / एफ.12(69) / 2009 / 8281 दिनांक : 2.7.09

भण्डार प्रबन्धकों (Warehouse Managers) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम एक पूर्णतः सरकारी निगम है जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में विभिन्न स्थानों पर भण्डारगृहों (Warehouses) का संचालन किया जाता है। इन भण्डारगृहों (Warehuouses) का प्रभारी भण्डार प्रबन्धक (Warehouse Manager) होता है।

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम में भण्डार प्रबन्धक के 65 पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं:–

1. भण्डार प्रबन्धक के पदों की संख्या 65

कुल पद	सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
65	25	10	7	3	5	2	10	3

टिप्पणी :
1. उक्त कुल पदों में से निशक्तजन (अंधता / निम्न दृष्टि) के लिए एक पद आरक्षित है।
2. अवधारित संख्या तक महिला अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यार्थियों में से इन रिक्तियों की पूर्ति की जाएगी एवं महिलाओं के लिए उक्त गठित रिक्तियों का प्रदर्शित विभाजन 5 प्रतिशत विधवाओं के लिए एवं 25 प्रतिशत अन्य महिलाओं के लिए रहेगा।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग के अवधारित संख्या तक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में सम्बन्धित संवर्ग से रिक्तियों की पूर्ति कर ली जाएगी।

उक्त विज्ञापित पदों की संख्या में निगम द्वारा कभी भी कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।

2. भण्डार प्रबन्धक की शैक्षणिक योग्यता एवं आयुः–

शैक्षणिक योग्यता	आयु
बी.एस–सी. (कृषि) मय एम.बी.ए./प्रबन्धन में पी.जी. डिप्लोमा B.Sc. (Agriculture) with MBA/PG Diploma in Management	दिनांक 01.01.2010 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष व सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट। सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में क्रमशः 10 वर्ष, 13 वर्ष एवं 15 वर्ष की छूट देय होगी। इस निगम के कर्मचारी उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट।

3. पे–बैण्ड (2) 9300–34800 एवं ग्रेड पे 4200 (13)/पारिश्रमिकः–

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रथमतः दो वर्षो के लिए परिवीक्षा–प्रशिक्षण अवधि (Probation-Training Period) के लिए की जायेगी, जिसके दौरान उन्हें रुपये 13050/– मासिक दर पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा।

कोई भी अभ्यर्थी उसे प्रस्तावित किए जा रहे पद पर समनुदेशन (एसाइनमेंट) को स्वीकार करेगा, उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान निगम द्वारा समय–समय पर नियत की गई दर पर मासिक नियत पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा तथा पद का उपर्युक्त प्रदर्शित पे–बैण्ड (2) 9300–34800 एवं ग्रेड पे 4200 (13) एवं अन्य भत्ते परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से ही स्वीकृत किया जाएगा।

4. चयन प्रक्रियाः–

भण्डार प्रबन्धक के पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यार्थियों के बी.एस–सी. (कृषि) में प्राप्त एग्रीगेट प्रतिशत प्राप्तांकों एवं एम.बी.ए./पी.जी. डिप्लोमा इन मैनेजमेन्ट में प्राप्त एग्रीगेट प्रतिशत प्राप्तांकों को जोड़ कर इनका औसत प्रतिशत निकाला जायेगा, जिसके आधार पर प्रवर्गवार (Categorywise) मेरिट तैयार की जाएगी। उदाहरण के तौर पर किसी अभ्यार्थी के बी.एस–सी. (कृषि) में कुल एग्रीगेट प्राप्तांक 65 प्रतिशत हैं तथा एम.बी.ए./ पी.जी. डिप्लोमा इन मैनेजमेन्ट में कुल एग्रीगेट प्राप्तांक 55 प्रतिशत हैं तो दोनों को जोड़ कर इसका औसत 60 प्रतिशत प्राप्तांक माना जायेगा। उक्त मेरिट के आधार पर भण्डार प्रबन्धक के पद पर चयन के साक्षात्कार हेतु 65 रिक्तियों का अधिकतम तीन गुणा अभ्यार्थियों को बुलाया जाएगा।

नोटः– निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार (Personal Interview) के लिए बुलाये जाने का हकदार नहीं हो जाता है। प्रार्थना–पत्रों की संख्या अधिक होने की स्थिति में विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से उच्च योग्यताओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम की जा सकती है।

5. जाति प्रमाण–पत्रः–

राजस्थान के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण–पत्र विचारणीय होंगे। अन्य पिछड़ा जाति के वे प्रमाण–पत्र विचारणीय होंगे, जो छः माह से पूर्व के नहीं होंगे। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

6. नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः–

राज्य सरकार/निगम/बोर्ड से डिसमिस कर्मचारी एवं ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति है व जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि दिनांक 01 जून, 2002 को उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसका नैतिक आचरण सही नहीं हो, किसी भी गतिविधियों में न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ऐसी महिला भी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पत्नी जीवित है।

7. आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांकः–

आवेदन पत्र निम्नांकित प्रारूप में भरकर आवश्यक प्रमाण–पत्रों एवं निर्धारित शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे–आर्डर सहित दिनांक 31.07.2009 को सायंकाल 6.00 बजे तक **प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम, प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर 302015** के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंच जाने चाहिए। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा डाक से विलम्ब आदि के कारण से अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट अंकित करें। अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रक्रियाः–

आवेदन पत्र के निम्न प्रारूप को 12×8 इंच (A-4) आकार के कागज पर वेब साइट से डाउनलोड/टाइप करवा कर प्रयोग में लिया जाये। निगम द्वारा अलग से कोई भी आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

जनशक्ति आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार में पंजीकृत व्यक्तियों को भी इसी प्रक्रिया द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा।

8. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सत्यापित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे:–

(अ) सैकण्डरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।

(आ) सैकेण्डरी स्कूल की अंकतालिका।

(इ) स्नातक / स्नातकोत्तर (कृषि) मय एम.बी.ए. / प्रबन्धन पी.जी. डिप्लोमा उपाधि का प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक वर्ष / सेमेस्टर की अंकतालिका की। अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग दिए जाने पर ग्रेडिंग का फार्मूला भी स्पष्टः अंकित करना होगा। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त बोर्ड / विद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय के ही मान्य होंगे। फर्जी पाये जाने पर नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी तथा नियमानुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।

(ई) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो।

(उ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र।

(ऊ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन प्रमाण पत्र, जहां लागू हो।

(ए) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, जो छः माह से पूर्व के न हों।

(ऐ) विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो।

(ओ) विधवा होने की दशा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा विवाह विच्छेद महिला के प्रकरण में विवाह विच्छेद प्रमाण–पत्र।

(औ) दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् बच्चों की संख्या में वृद्धि होकर दो बच्चों से अधिक न होने का शपथ पत्र (शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी)।

(अं) मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

(अः) अनुसूचित जनजाति (टीएसपी) क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।